भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी)पूर्व(. मुंबई / Andheri (E), Mumbai –400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294703/74 फैक्स / Fax : 28291385,
ई-मेल / E-mail: jdcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

INDIA @ 75

F No. SEEPZ-SEZ/IA-I/MINUTES/40/16-17/VOL-XVII दिनांक: .10.2023

परिपत्र /38

दिनांक 06.10.2023 को अनुमोदन समिति की बैठक में पाया कि कई यूनिट नियम 54 और फॉर्म एच यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए बांड सह कानूनी वचनपत्र समय पर यानी 180 दिनों के भीतर एपीआर जमा नहीं कर रहे हैं।

सेज़ नियम 2006 के नियम 54 और फॉर्म एच यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए बांड सह कानूनी वचनपत्र बिंदु संख्या 7 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निम्नानुसार निर्धारित है:-

"हम, देनदार, उत्पादन या सेवा गतिविधियों के प्रारंभ होने के बाद, विकास आयुक्त और निर्दिष्ट अधिकारी को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद [एक सौ आठ दिन] की अवधि के भीतर, निर्धारित प्रपत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के तहत वार्षिक प्रदर्शन रिटर्न प्रस्तुत करेंगे। ऐसी गलत जानकारी प्रस्तुत करने या निर्धारित समय के भीतर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में, अधिकृत संचालन करने के लिए हमें दी गई अनुमति वापस ली जा सकती है और/या घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आगे के आयात और बिक्री की अनुमति रोकी जा सकती है।"

इसलिए, सभी यूनिटधारकों से अनुरोध है कि वे समय पर एपीआर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ऐसा न करने पर, वे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

30.10.23

(सी.पी.एस.चौहान)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

प्रति,
सभी यूनिट धारकों के लिए

भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी)पूर्व(, मुंबई / Andheri (E), Mumbai –400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294703/74 फैक्स / Fax : 28291385,
ई-मेल / E-mail: jdcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

INDIA @ 75

F No. SEEPZ-SEZ/IA-I/MINUTES/40/16-17/VOL-XVIII Date:- .10.2023

CIRCULAR /38

The Approval Committee in its meeting held on 06.10.2023 observed that many units are not submitting APRs on time, in terms of Rule 54 and FORM H i.e. BOND CUM LEGAL UNDERTAKING FOR SPECIAL ECONOMIC ZONE i.e. within 180 days.

Attention is invited to Rule 54 of the SEZ Rules 2006 and FORM H i.e.BOND CUM LEGAL UNDERTAKING FOR SPECIAL ECONOMIC ZONE point No.7, which stipulates as follows

" We, the obligors shall, after the commencement of production or service activities , submit to the Development Commissioner and the Specified Officer, Annual Performance Return within a period of [one hundred eight days] following the close of financial year, in the form prescribed under the Special Economic Zone Rules, 2006, certified by Chartered Accountant. In case of wrong submission of such information or failure to submit such information within the stipulated time, the permission granted to us for carrying out the authorized operations may be withdrawn and / or the permission for further imports and sales in the Domestic Tariff Area may be stopped."

Hence, all the Unitholders are hereby requested to ensure submission of APRs on time, failing which, they shall be liable for penal action under the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation)Act, 1992.

30.10.23

(C.P.S. Chauhan)
Jt. Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

To,

All units holders